Volume-12, No. 1 Feb.-2025, pp. Hin.12-16

युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तिः कारण एवं समाधान

प्रोफेसर सुचित्रा देवी, शोध निर्देशिका
एन0 ए0 एस0 डिग्री कॉलेज मेरठ उत्तर–प्रदेश भारत
मिस. पूजा शर्मा, शोधार्थी, (शिक्षा शास्त्र)
एन0 ए0 एस0 डिग्री कॉलेज मेरठ उत्तर–प्रदेश भारत

वर्तमान समाज में युवाओं की आपराधिक प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बन चुकी है यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज की सुरक्षा और विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान था। और हमारा भारत द्वितीय स्थान पर था। भारतवर्ष में युवाओं की संख्या पूरे विश्व में बहुत अधिक है। इसी कारणवश भारत प्रथम स्थान पर आ गया है यही युवा जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहता है। अगर वही युवा आपराधिक प्रवृत्तियों से ग्रसित होगा तो वह राष्ट्र में अपना योगदान सफल तरीके से नही कर पायेगा। युवा प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य होता हैं परंतु युवाओं के अंतर्गत इस प्रकार की समस्या एक चिंता का विषय बनती जा रही है। जिस प्रकार किशोर अवस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा गया है, परंतु विद्यार्थी युवा होते–होते विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता चला जा रहा है। हमेशा से देखा गया है, कि युवा–युवतियों का जीवन विभिन्न जोखिम कारकों से भरा होता है। युवाओं की समस्या के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, आतंकवाद, शिक्षा और भ्रष्टाचार आदि सम्मिलित है। युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कई शोधों पता चला है कि रोजगार के अवसरों मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और पर्यावरणीय प्रभाव में असमानता इस प्रवृत्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान रखती हैं। युवा की अपराधिक प्रवृत्ति वह मानसिकता और व्यवहार है। जिसमें युवा व्यक्ति अपराध या अवैध गतिविधियों की ओर आकर्षित होता है। इस लेख के अंतर्गत हम युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों के कारणों एवं उपायों को जानने का प्रयास करेंगे।

मुख्य शब्द– युवा, आपराधिक प्रवृत्ति, युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के कारण एवं समाधान।

प्रस्तावना

युवा पीढ़ी देश के नौजवानों का एक अहम हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार युवावस्था में उन व्यक्तियों का समावेश होता है जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष की होती है युवावस्था शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों का शरीर प्रजनन क्षमता से युक्त वयस्क शरीर में बदल जाता है भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। युवा एक विकसित भारत का अहम हिस्सा बनेगा और भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। परंतु जब युवा आपराधिक प्रवृत्ति से ग्रसित होगा तो उसे राष्ट्र को विकसित करने के लिए कई प्रकार की बधाओं का सामना करना पड़ेगा।

आपराधिक प्रवृत्ति किसी व्यक्ति का आपराधिक गतिविधियों की ओर झुकाव होना कहलाता है। आपराधिक प्रवृत्ति तब पैदा होती है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक, तेज गति से लगातार वृद्धि होती है और उसे आपराधिक माना जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्तिगत समूह और सामुदायिक स्तर पर हो सकती है। आपराधिक व्यवहार को अक्सर असामाजिक माना जाता है। लूट बलात्कार, चोरी, डकैती, ब्लैक मेलिंग के अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और युवा जिस प्रकार की प्रवृत्ति से ग्रसित होते जा रहे हैं। उससे इन अपराधों पर लगाम लगने की कोई सूरत भी नजर नहीं आती। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है, लेकिन इससे भी अधिक भयावह है अपराध के दलदल में ऐसे लोगों का धंसना जो न तो पेशेवर अपराधी हैं और न ही अपराध करना उनके लिए कोई मजबूरी है, वे केवल अपने अहंकार की तुष्टि या अनावश्यक जिद के

चलते ऐसे संगीन अपराध कर जाते हैं, जो न केवल उनके पूरे जीवन को कालकोठरी में धकेल देते हैं बल्कि समाज को भी शर्मशार कर जाते हैं। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या विचार और आदर्श दे रहे हैं क्या कभी इसका आकलन किया है? हम दूसरे के सही गलत का फैसला तो तत्काल सुना देते हैं, पर स्वयं क्या सही और गलत कर रहे हैं उस पर विचार किया है? आज कल जैसे अपराध हो रहे हैं उनके पीछे कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। कभी–कभी तो युवा एक दूसरे को देखकर अनजाने में ही अपराध को अंजाम दे देते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उच्च वर्ग से प्रभावित होकर, उनके जैसा दिखने, रहने और करने के लिए ही अपराध की दुनिया को अंगीकार कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में विफलता, अति उत्साह में तेज वाहन चलाना, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, मस्ती में छेड़छाड़ और प्रतिरोध करने पर आवेश अथवा अपमान बोध से इनके हाथों गंभीर अपराध हो जाता है।

आपराधिकता और आपराधिक न्याय विशाल क्षेत्र हैं जो संस्कृतियों और समय की गतिशीलता में भिन्न हैं। जबकि एक गतिविधि एक समुदाय में कानूनी रूप से दंडनीय है, यह अन्य संस्कृतियों में आदर्श हो सकती है। वैधता और आपराधिक कानूनों में असमानताओं के बावजूद, दुनिया भर में लोग अपराध करते हैं। इस प्रकार, विद्वानों और अपराध शास्त्रियों ने आपराधिक गतिविधियों के कारणों पर विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालाँकि कुछ व्यक्तियों का दावा है कि अपराधों में कोई कारणात्मक कारक नहीं होते हैं, विभिन्न शोधों से संकेत मिलता है कि अपराध समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारकों से बढ़ते हैं जो आपराधिक गतिविधि को ट्रिगर या प्रभावित करते हैं। यह शोध पत्र युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य को प्रभावित करने वाले पहलुओं से संबंधित सिद्धांत पर चर्चा करेगा।

उद्देश्य–

- युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के अध्ययन का उद्देश्य युवाओं में आपराधिक प्रवृत्तियों के बढ़ने के कारणों और स्वरूप की पहचान करना है।
- इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक कारको जैसे बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी की भूमिका का विश्लेषण किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और व्यक्तिगत चुनौतियों के प्रभाव को समझा जाएगा।
- युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति पर सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का प्रभाव युवाओं के व्यक्तित्व पर किस प्रकार असर डालेगा इसका अध्ययन किया जाएगा।
- युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों के प्रभावी समाधानों की पहचान की जाएगी।

अपराधी के व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या

1. **बायोजेनिक स्पष्टीकरण**– कई मानवविज्ञानी और मनोचिकित्सकों की राय यह है कि गैर–अपराधियों की तुलना में अपराधियों की शारीरिक बनावट भिन्न होती है।
2. **मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण**– मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत कम मानसिकता वाले (कम बुद्धि) और मानसिक विकारों से ग्रसित लोग भी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं
3. **मनोवैज्ञानिक व्याख्या**– हेनरी गोडार्ड ने कहा था निम्न आई क्यू विरासत में मिलता है उन्होंने बताया कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाये जाते है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि हर कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होता। वहां पर दो कारक निर्धारित करते हैं कि अपराधी कौन बनेगा? संभावित अपराध हालाँकि कमज़ोरी हो सकती है वंशानुगत हो लेकिन आपराधिकता ऐसी नहीं है.
4. **मनोरोग संबंधी व्याख्या–** एक अग्रणी मनोचिकित्सक (शिकागो) की तुलना में अलग–अलग राय हैं उनके चिकित्सक सहयोगियों ने कहा कि यह किशोर अपराध था अपराध का कारण स्वभाव दोष है।
5. **मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या**– सिगमंड फ्रायड, ने अंत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत विकसित किया उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में आपराधिकता के सिद्धांत को आगे नहीं बढ़ाया। उनका दृष्टिकोण और तीन तत्व जैसे आईडी, अहंकार और सुपर ईगो का उपयोग एडलर और फ्राइड जैसे अन्य लोगों द्वारा किया जाता है

आपराधी प्रवृत्तियों की विशेषताएँ–

1. अपराधी लोग अक्सर आर्थिक, सामाजिक, या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं।

2. ऐसे लोग आमतौर पर समाज के नैतिक मानदंडों और कानूनी नियमों की अनदेखी करते हैं।
3. कुछ लोग अपराध को एक आदत के रूप में अपना लेते हैं और इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं।
4. पारिवारिक और सामाजिक परिवेश भी अपराधी प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि खराब शिक्षा, गरीबी, या नकारात्मक माहौल।
5. कुछ अपराधी लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि आक्रमकता, मानसिक असंतुलन, या अन्य मनोवैज्ञानिक विकारों के कारण अपराध कर सकते हैं।
6. समाज में अपेक्षित मानक और सामाजिक समावेश की कमी भी अपराधी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती है।

युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है–

- शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी और बढ़े हुए आपराधिक व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध मौजूद है, क्योंकि अवसरों की कमी से निराशा और आपराधिक गतिविधियाँ हो सकती है।
- गरीबी और शिक्षा की कमी सहित सामाजिक–आर्थिक चुनौतियां, युवाओं की हिंसा और आक्रामकता में योगदान करती हैं, पिता का संघर्ष, टूटे हुए परिवार और बाल शोषण ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो युवाओं को अपराधिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं।
- माता–पिता की खराब देखरेख एक लापरवाह रवैये को बढ़ावा देती है जो हिंसक व्यवहार में बदल सकता है।
- बचपन के दौरान नकारात्मक अनुभव, जैसे कि घरेलू हिंसा, किशोरावस्था में असामाजिक व्यवहार युवा होने तक आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे सकते हैं।
- व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक मुद्दे, जो अक्सर बचपन के प्रतिकूल वातावरण से उत्पन्न होते हैं, युवाओं में आपराधिक प्रवृत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- गरीब और वंचित परिवारों में आर्थिक असमर्थता और बेरोजगारी अपराध की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकती है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और अज्ञानता युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकती है।
- परिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा, और एकल माता–पिता की स्थिति युवाओं को मानसिक तनाव और असुरक्षा का सामना करवा सकती है, जो अपराध की ओर ले जा सकती है।
- दोस्तों या समाज के दबाव के कारण युवा अपराध में शामिल हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें स्वीकार्यता की कमी महसूस होती है।
- मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ और भावनात्मक असंतुलन भी अपराध की प्रवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं।
- हिंसक सामग्री, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रभाव भी युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर सकते हैं।
- नशे की आदत और ड्रग्स का सेवन युवाओं को अपराध की ओर ले जा सकता है युवा अपराध को प्रभावित करने में सोशल मीडिया की भूमिका बहुआयामी है, जिसमें हिंसक व्यवहार का प्रसार और साइबर अपराध की सुविधा दोनों शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हिंसक सामग्री के संपर्क में आने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, जिससे युवाओं में आक्रामकता और आपराधिक व्यवहार बढ़ सकता है।
- युवाओं को अक्सर सोशल मीडिया पर हिंसक मनोरंजन से अवगत कराया जाता है, जिसे आक्रामक आचरण से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि हिंसक वीडियो गेम और एक्शन फिल्मों से जुड़े कॉलेज के छात्रों ने हिंसक व्यवहार के उच्च उदाहरणों की सूचना दी।
- सोशल मीडिया पर संघर्ष से संबंधित हिंसक सामग्री के संपर्क में आने से किशोरों में भावनात्मक परेशानी, चिंता और हिंसा की धारणा बदल सकती हैं।
- सोशल मीडिया साइबरबुलिंग और अन्य ऑनलाइन अपराधों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें युवाओं का एक उल्लेखनीय प्रतिशत फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों को असुरक्षित मानता है
- साइबरबुलिंग और घोटालों की व्यापकता, जैसे कि फर्जी जॉब पोस्टिंग, सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े जोखिमों को उजागर करती है
- जहां सोशल मीडिया युवाओं के अपराध को बढ़ा सकता है, वहीं यह जागरूकता और

हस्तक्षेप के अवसर भी प्रदान करता है। ऑनलाइन व्यवहार की निगरानी और चर्चा में माता–पिता और शिक्षकों को शामिल करने से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।

समाधान–

- सकारात्मक विकास और समाजीकरण को बढ़ावा देने वाली विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से युवाओं के आपराधिक व्यवहार को रोकने में शैक्षिक प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भावनात्मक और नागरिक कौशल, प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच और सहायक वातावरण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, शैक्षणिक संस्थान अपराध के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं।
- सामाजिक गतिशीलता को दर्शाने के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करने से सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, जिससे अपराधीता के मूल कारणों का समाधान किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम में भावनात्मक और नागरिक कौशल पर ज़ोर देने से छात्रों को ज़िम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद मिलती है प्रारंभिक हस्तक्षेप और सामाजिक क्षमता जोखिम वाले किशोरों की शुरुआती पहचान लक्षित हस्तक्षेपों, सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देने और पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल करने की अनुमति देती है।
- सामाजिक कौशल सिखाने वाले कार्यक्रम छात्रों के मूल्य उन्मुखताओं और प्रेरक दृष्टिकोण को बढ़ाकर विचलित व्यवहार को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं।
- एक सहायक स्कूल वातावरण, जिसमें सकारात्मक शिक्षक–छात्र संबंध और नैतिक शिक्षा शामिल है, किशोर अपराध के जोखिम को और कम करता है।
- हालांकि शैक्षणिक प्रणालियां व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह पहचानना आवश्यक है कि बाहरी कारक, जैसे कि पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक–आर्थिक स्थितियां, युवाओं के कार्यों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार, प्रभावी अपराध रोकथाम के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें परिवार और सामुदायिक जुड़ाव युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों को विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शोध बताता है कि रोजगार के अवसरों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और पर्यावरणीय प्रभावों में असमानताएं इस प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।
- युवा वयस्कों में अवसाद और आपराधिक प्रवृत्तियों के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद है, जिसमें पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक प्रवृत्ति होती है
- भविष्य के आपराधिक व्यवहार को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- पारिवारिक वातावरण के अन्तर्गत माता–पिता को अपने युवा पुत्र को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना अवश्यक है।
- सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, मादक द्रव्यों के सेवन और अप्रभावी सुधार प्रणाली जैसे कारक युवा अपराधीता में योगदान करते हैं। इन सभी पर रोक लगाकर आपराधिक प्रवृत्ति को कम तथा समाप्ति की ओर ले जाया जा सकता है।
- बढ़ते युवा अपराध की धारणा अक्सर वास्तविक अपराध प्रवृत्तियों के विपरीत होती है, जिसमें 1990 के दशक के मध्य से गिरावट देखी गई है

निष्कर्ष–

युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के आर्टिकल में कुछ प्रमुख निष्कर्ष हो सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, जैसे बेरोज़गारी और गरीबी, के कारण युवाओं में आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ सकती हैं। परिवारिक अस्थिरता और सामाजिक परिवेश का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, जहां हिंसा और असामाजिक व्यवहार घर के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और शिक्षा की कमी भी अपराध की ओर उन्मुख करने वाले कारक हो सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर नकारात्मक प्रभाव भी युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इन समस्याओं को समाधान के लिए शिक्षा, परिवारिक समर्थन और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज को एकत्रित रूप से कार्य करना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार, रोजगार सृजन, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, और सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने

से युवाओं के लिए सकारात्मक विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही, पुलिस और न्याय प्रणाली को भी अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाना आवश्यक है। अंततः, यदि हम मिलकर प्रयास करें, तो हम युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपराधिक प्रवृत्तियों को कम कर सकते हैं।

सोशल मीडिया से हमारे देश के युवाओं की पूरी जीवन शैली प्रभावी दिखलाई पड़ रही है जिसमें से रहन–सहन खान–पान वेशभूषा और बोलचाल सभी समग्र रूप से शामिल है मद्यपान और धूम्रपान उन्हें एक फैशन का ढंग लगने लगा है नैतिक मूल्यों के हनन में यह कारण मुख्य रूप से है आपसी रिश्ते नाते में बढ़ती दूरियां और परिवारों में बिखराव की स्थिति इसके दुखदाई परिणाम है आज देश के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि युवा शक्ति का सदुपयोग कैसे करें इसका जवाब सोशल मीडिया में ही छुपा है अगर हमारे देश का युवा चाहे तो सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है यहां वे अपनी अच्छाइयों में रचनात्मकता से रूबरू करा सकते हैं सूचना के आदान–प्रदान जन्म तैयार करना विभिन्न क्षेत्र और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने भागीदार बनाने और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नएं ढंग से संपर्क करने में युवा अपना हाथ बटा सकता है और सोशल मीडिया को यह सशक्त और बेजोड़ उपकरण के रूप में तैयार कर सकता है।

आज का दौर अगर सही मायने में देखे तो युवा शक्ति का दौर है इन युवाओं को जोड़ने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। युवा वर्ग के लोगों में सोशल नेटवर्किंग साइट का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण और सोशल नेटवर्किंग दुनिया भर में इंटरनेट पर होने वाली नंबर वन गतिविधि बन गया है एक परिभाषा के अनुसार सोशल मीडिया को परस्पर संवाद का वह आधारित एक ऐसा अत्यधिक गतिशील मंच कहा जा सकता है जिसके माध्यम से लोग संवाद करते हैं आपस में जानकारी का आदान–प्रदान करते हैं वर्तमान समय में सोशल मीडिया के उपयोग ने युवाओं को समय से पहले आक्रांत कर दिया है युवा तुरंत पहचान बनाना चाहता है बिना इंतजार किए प्रतिष्ठित होना चाहता है और जब चाहा पूरी नहीं होती है तो वह आक्रामक व अपराधिकारियों को करने से नहीं डरते।

संदर्भ सूची

1. Ahuja, Ram, Criminology, Rawat Publications, Jaipur, India, 2010.
2. Ahuja, Ram, Social problems in India, Rawat Publications, Jaipur, India, 1997.
3. Ahuja, Ram, Sociological Criminology, New Age International Publishers, New Delhi, 1996.
4. Ahuja, Ram, The Prisoner is a Human – being," Times Weekly, Times of India, Bombay, May 27, 1973.
5. Ahuja, Ram, Youth and Crime, Rawat Publishers, Jaipur, 1996.
6. Bloch, Herbert A., Man, Crime and Society, Random House, New York, 1956.
7. Clemmer, Donald, the Prison Community, Christopher Publishing House, Boston, 1940.
8. Clinard Marshall, B., Sociology of Devinnt Behaviour, Holt, Rinchart and Winston, Inc., Newyork, 1955.
9. Crime in India, National Crime Records Bereau, Government of India, New Delhi.
10. Crime in India, 1994, National Crime Records Bureau, New Delhi.
11. Current Perspectives on criminal behaviour, Abraham S. Blumberg, Library of congress cataloguing in Publication Data, New York, 1974.
12. Edwin H. Sutherland, and Donald R. Cressey, Criminology, J.B.Lippincott Company, New York, 1978.
13. Inter– Agency plan for current Disorder / Severe anti social behaviour published by the Ministry of Social development (2007).
14. Krishna Iyer V.R, Perspectives in Criminology, Law and social change, Allied Publishers private Limited, New Delhi, India, 1980.
15. Landis, Paul, Social Problems, J.R. Lippincott Company, Chicago, 1959.
16. Madan G.R., Indian Social Problems (Vol – I) Seventh Edition, Allied Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 2009.
17. Mc. Laren, K (2000) tough is not enough. Published Ministry of Youth Affairs.
18. Police Crime Statistics.
19. Trowler, Paul, Active Sociology, 1987.
20. Wilkins, Leslie T., SocialDeviance: Social Policy